

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.)।

## तरणताल

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी तरणताल
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) प्रभारी कानि., तरणताल– समस्त प्रशिक्षणार्थियों को तैराकी प्रशिक्षण देना एवं तरणताल के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करना। (ग) सहायक स्टाफ – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(सीडीपीएसएम) के द्वारा उचित माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के आदेशानुसार निर्णय किये जाते हैं व आदेश की पालना की जाती है।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	तरणताल के कार्यों निर्वहन के मानदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए तरणताल के समस्त कार्यों को करवाना जैसे- तरणताल का रख-रखाव एवं साफ-सफाई।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	नियमानुसार तरणताल से सम्बन्धित समस्त तैराकी प्रशिक्षणार्थियों को तरणताल के नियम, विनियमों को अवगत करवाना एवं पालन करवाना।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● तरणताल प्रवेश प्रार्थना पत्र।</li> <li>● तैराकी प्रशिक्षणार्थियों की पारी के अनुसार तैराकी प्रशिक्षण देना।</li> <li>● तरणताल की समय सारणी।</li> <li>● तैराकी प्रशिक्षणार्थियों के समयानुसार निर्धारित सहायता राशि का विवरण रखना।</li> </ul>
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियाँ अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं0 0141- 2302131 पीबीएक्स नं0 -539.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लागू नहीं।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।

14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	तरणताल में नागरिक उपयोग के लिए विभाग द्वारा बनाये गये मापदण्डों के अनुसार आज्ञा प्रदान की जाती है तथा इसे सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाता है।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।